

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-2, कानपुर देहात ।

UPRN04-023091-2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 5024/2025

किशन स्वरूप गुप्ता-----बनाम-----सरकार

परिवाद सं० 4187/2021

धारा-138 एन०आई०एक्ट,

थाना-मंगलपुर, कानपुर देहात।

दिनांक: 14.05.2026

अभियुक्त किशन स्वरूप गुप्ता पुत्र स्व० नारायण दास, निवासी-वार्ड नं० 2, अम्बेडकर नगर, थाना-रूरा, कानपुर देहात की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2192/2026 अंतर्गत परिवाद सं० 4187/2021, धारा-138 एन०आई०एक्ट, थाना-मंगलपुर, कानपुर देहात में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त 85 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है तथा गंभीर रूप से बीमार है एवं एक पैर भी खराब हो गया है। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त मामला जमानतीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त किशन स्वरूप गुप्ता पुत्र स्व० नारायण दास, निवासी-वार्ड नं० 2, अम्बेडकर नगर, थाना-रूरा, कानपुर देहात की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2192/2026 अंतर्गत परिवाद सं० 4187/2021, धारा-138 एन०आई०एक्ट, थाना-मंगलपुर, कानपुर देहात में उसके के द्वारा 20,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(श्रीमती अलका, UP2604)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं० 2, कानपुर देहात।

14.05.2026